

न्यायालय भू० अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला-पाली (राजस्थान) केम्प गोरीया
 पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
 राजस्व विविध प्रकरण संख्या 82/2021 GCMS No 2021/280
 दायरा तिथि : 02.11.2021
 फंसला तिथि : 02.11.2021

प्रार्थीगण:-

ग्रामवासी गोरीया जरिये
 सरपंच ग्राम पंचायत गोरीया तहसील-बाली जिला पाली (राजस्थान)
 बनाम

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

--: आदेश :-

दिनांक 02.11.2021


प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण ग्रामवासी गोरीया द्वारा कदीमी रास्ते को मौके पर मौजूद स्थिति के अनुसार नक्शे में तरमीम किये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रकरण संस्थापित कर जांच रिपोर्ट तहसीलदार, बाली से ली गई। तहसीलदार, बाली मय पटवारी हल्का, गोरीया व निरीक्षक भू० अभिलेख बीजापुर ने मौके व रेकर्ड से जांच कर रिपोर्ट पेश की। अपनी रिपोर्ट में निवेदन किया कि ग्राम गोरीया में स्थित भूमि खसरा नंबर 810 व 812 रकबा क्रमशः 13.80 हैक्टर, 0.39 हैक्टर किस्म गै.मु. मगरी राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होकर राजकीय सिवायचक दर्ज है, परन्तु इन खसरे में से कुल 0.19 हैक्टर भूमि पर कदीमी रास्ता है, जो पिछले कई वर्षों से आम जन के आने जाने के लिये इस्तेमाल हो रहा है, इसलिये मौके पर मौजूद कदीमी रास्ते को रास्ता दर्ज किये जाने के साथ नक्शे में तरमीम किये जाने का निवेदन किया। अपनी रिपोर्ट में यह भी वर्णित किया गया कि प्रस्तावित (कदीमी) रास्ता मौके पर चालू है जिससे गोरीया के खसरा नंबर 810 व 812 रकबा क्रमशः 13.80 हैक्टर, 0.39 हैक्टर मेंसे कुल 0.19 हैक्टर भूमि को मौका स्थिति के अनुसार निम्नानुसार रेकर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने के साथ नक्शे में तरमीम की अनुशंसा की गई:-

रिकार्ड की वर्तमान स्थिति				रास्ते हेतु उपभोग में ली जा रही भूमि का विवरण		
क्र०सं.	कदीमी रास्ते हेतु उपयोग में लिये जा रहे खसरे का विवरण	खसरे का कुल रकबा एवं किस्म	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रास्ते के उपयोग में लिया जाने वाला रकबा	विशेष विवरण
01	810	13.80 हैक्टर गै. मु. मगरी	राजकीय सिवायचक	810/1	0.16 हैक्टर गै.मु. रास्ता	
02	812	0.39 हैक्टर	---	812/1	0.03 हैक्ट. गै.मु. रास्ता	

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से हस्तगत प्रकरण में यह प्रमाणित है कि ग्राम गोरीया के खसरा नंबर 810 व 812 रकबा क्रमशः 13.80 हैक्टर, 0.39 हैक्टर किस्म गै.मु. मगरी जो कि राजस्व रेकर्ड में राजकीय सिवायचक दर्ज है, परन्तु इस खसरा नंबर की भूमि में उपरोक्तानुसार कुल 0.19 हैक्टर मौके पर कदीमी रास्ता मौजूद है, इसका अंकन राजस्व रेकर्ड में तथा नक्शे में नहीं है, जिससे उक्त रास्ता से गुजरने वाले लोगो को कठिनाई होने से परिवाद दर्ज किये जाते रहे है, जिसको अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, बाली द्वारा जांच रिपोर्ट में स्वीकार करते हुये रेकर्ड शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की गई है।

पेज लगातार.....02


 उपखण्ड अधिकारी
 बाली (जिला-पाली) राज.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : /2021 GCMS No 2021/
अनवान ग्रामवासी गोरीया जरिये सारपंच ग्राम पंचायत गोरीया बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1955

इस संबंध में राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के प्रावधानों का अवलोकन किया गया।
131. Maintenance of Map and Field Book- After the survey and record operation are over, the map and field book shall be maintained by the Land Records officer, in accordance with the rules made by the state Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded therein all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book. According to section 131, the Land Record Officer (i.e. collector or S.D.O. as the case may be) shall be responsible for the proper maintenance of the map, and field book and to record necessary changes from time to time in accordance with the Raj. Land Revenue (Land Record) Rules, 1957.

इस संबंध में राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 में नक्शा (मानचित्र) के संबंध में वर्णित नियम 59 व 60 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निरीक्षक भू अभिलेख एवं संबंधित राजस्व अधिकारी नक्शों की शुद्धि के लिये जिम्मेदार हैं। इस संबंध में राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अध्याय द्वितीय में वर्णित उपखण्ड अधिकारियों के कर्तव्य शीर्षक में वर्णित नियम 369 के अनुसार- उपखण्ड अधिकारी यद्यपि जिलाधीश के नियंत्रण में है फिर भी उसके साथ-साथ अपने उपखण्ड में अभिलेख नक्शों की शुद्धि के लिए उत्तरदायी है उसे समस्त परिवर्तनों के आदेश देने के अधिकार हैं तथा समस्त विवादरपद नामान्तरकरण के मामले हस्तान्तरण व परिवर्तन जो उसके ध्यान में आवे निस्तारण कर सकता है। कर्मचारीगण पर देख रेख करने के अलावा उसे विशेषतया यह देखना चाहिए कि पारित आदेश स्पष्ट संक्षिप्त हैं तथा इनकी पालना कर ली गई है। उपखण्ड अधिकारी की भू अभिलेख के सम्बन्ध में उन कर्तव्यों के अलावा जो वह न्यायिक हैं दृष्टि से सम्पन्न करता है। इसके साथ ही राज.भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत रिकार्ड में हुई त्रुटि को दोनो पक्षों के सहमत होने पर उपखण्ड अधिकारी बतौर लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर शुद्धि के आदेश दे सकता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। माफिक रिपोर्ट तहसीलदार, बाली ग्राम गोरीया के खसरा नंबर 810 व 812 रकबा क्रमशः 13.80 हैक्टर, 0.39 हैक्टर, किस्म गै.मु. मगरी जो कि राजस्व रेकर्ड में राजकीय सिवायचक दर्ज है, मेंसे मौका स्थिति अनुसार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 व 136 के तहत निम्नानुसार कुल 0.19 हैक्टर राजस्व रेकर्ड में बतौर गै.मु. रास्ता दर्ज करने के साथ राजस्व नक्शों में संशोधन के आदेश दिये जाते हैं:-

रिकार्ड की वर्तमान स्थिति				रास्ते हेतु उपभोग में ली जा रही भूमि का विवरण		
क्र०सं.	कदीमी रास्ते हेतु उपयोग में लिये जा रहे खसरे का विवरण	खसरे का कुल रकबा एवं किस्म	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रास्ते के उपयोग में लिया जाने वाला रकबा	विशेष विवरण
01	810	13.80 हैक्टर गै. मु. मगरी	राजकीय सिवायचक	810/1	0.16 हैक्टर गै.मु. रास्ता	
02	812	0.39 हैक्टर	---	812/1	0.03 हैक्ट. गै.मु. रास्ता	

पटवारी हल्का, गोरीया मय निरीक्षक भू अभिलेख बीजापुर व तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय मौका नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, गोरीया को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला - पाली) राज.
(ह.स.डी.ओ.), बाली
भू अभिलेख अधिकारी
उपखण्ड (ह.स.डी.ओ.) बाली
बाली (जिला - पाली) राज.

आदेश आज दिनांक 02.11.2021 को मजमा-ए-आम में सुनाया गया।